

नैशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (एमएन) लिमिटेड

बनाम

मेसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी और अन्य

(2005 की सिविल अपील संख्या 2788)

17 फरवरी, 2015

[न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत]

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971: उपधारा 4 और 7--उत्तरदाता संख्या 1 और कपड़ा उपक्रम के पूर्व मालिक के बीच बेचने का समझौता हुआ 1975 में-- समझौते में ऐसे खंड शामिल थे जो तीन साल के भीतर पंजीकृत बिक्री-विलेख या संप्रेषण विलेख के निष्पादन को अनिवार्य करते थे-- हालाँकि, वैसा कभी नहीं किया गया--1983 में, तत्कालीन मालिक के कपड़ा उपक्रम का प्रबंधन 1983 अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा ले लिया गया और उसके बाद 1995 अधिनियम के तहत केंद्र सरकार में निहित कर दिया गया--विषय परिसर को सार्वजनिक परिसर घोषित किया गया और प्रतिवादी संख्या 1 परिसर को खाली करने के लिए को नोटिस जारी किए गए--के खिलाफ चुनौती--अभिनिर्धारित: विषय भूमि सरकार में निहित हो गई और 1983 अधिनियम और 1995 अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर अपीलकर्ता के पक्ष में हस्तांतरित मानी गई-- इस तरह के निहितार्थ के

मद्देनजर, प्रतिवादी सं. 1 1971 के अधिनियम की धारा 2(जी) के अर्थ के अंतर्गत में अधिकृत अधिभोगी होने का दावा नहीं कर सकता— कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995—धारा 3 — कपड़ा उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 की धारा 3(1) में प्रावधान है कि नियत तिथि पर, प्रत्येक कपड़ा उपक्रम के संबंध में मालिक का अधिकार, शीर्षक और हित पूरी तरह से केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएगा और उसमें निहित हो जाएगा। इसकी उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक कपड़ा उपक्रम जो उप-धारा (1) के आधार पर केंद्र सरकार में निहित है, उसके निहित होने के तुरंत बाद, अपीलकर्ता-निगम को हस्तांतरित और निहित हो जाएगा। नियत दिन से पहले किसी भी अवधि के लिए किसी कपड़ा उपक्रम के मालिक यानी एसएसएमएल का दायित्व ऐसे मालिक (एसएसएमएल) का दायित्व है और 1995 अधिनियम की धारा 5(1) के मद्देनजर उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है, न कि केंद्र सरकार या अपीलकर्ता के खिलाफ। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 मालिक (एसएसएमएल) के खिलाफ मुकदमा लंबित होने के आधार पर केंद्र सरकार या अपीलकर्ता के खिलाफ कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। [पैरा 7,14 और 15] [172-जी-एच; 173-ए; 179-ए, बी और डी]

2. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भरोसा किए गए बेचने के समझौते में स्वयं ऐसे खंड शामिल थे जो तीन साल के भीतर पंजीकृत बिक्री-विलेख या संप्रेषण विलेख के निष्पादन को अनिवार्य करते थे। हालाँकि, वैसा कभी नहीं किया गया। यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने बेचने के समझौते पर क्रियान्वयन किया है और पूरे प्रतिफल का भुगतान किया है, तो भी यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी नंबर 1 सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 (जी) के अर्थ के तहत अधिकृत अधिभोगी है। [पैरा 13, 17] [177-बी, 181-जी]

आंध्र प्रदेश सरकार. बनाम के. वी. थुम्मला कृष्ण राव और अन्य (1982) 2 एससीसी 134:1982 (3) एससीआर 500; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जिया खान (1998) 8 एससीसी 483; नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीताराम मिल्स लिमिटेड और अन्य 1986 (अनुपूरक) एससीसी 117: 1986 एससीआर 187; मेसर्स डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1988) 2 एससीसी 299: 1988 (2) एससीआर 962--संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

1982 (3) एससीआर 500 संदर्भित किया गया	पैरा 6, 8
(1998) 8 एससीसी 483 संदर्भित किया गया	पैरा 6, 8

1986 एससीआर 187 संदर्भित किया गया पैरा 9

1988 (2) एससीआर 962 संदर्भित किया गया पैरा 16

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 2005 से सिविल अपील सं 2786

बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2000 की रिट याचिका सं 1542 में दिनांक 06.02.2003 के निर्णय और आदेश से।

रणजीत कुमार, एस.जी., सिद्धार्थ लूथरा, बी. सुनीता राव, अनुराग अपीलकर्ता के लिए।

श्याम दीवान, सुमित गोयल, कुमार शशांक, आयुष अग्रवाल, अभिषेक विनोद देशमुख (पारेख एंड कंपनी के लिए) उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय 1. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका संख्या 1552/2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 6 फरवरी, 2003 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। आक्षेपित फैसले के अनुसार, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

11. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने बिक्री के समझौते पर कार्रवाई की और संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान

कर दिया, वह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 2 (जी) के अर्थ के तहत अनधिकृत रहने वाला नहीं था। ऐसा होने पर, सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत सारांश प्रक्रिया को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है, न ही संपदा अधिकारी के पास सार्वजनिक परिसर अधिनियम की धारा 5(2) के तहत याचिकाकर्ता को बेदखल करने की कोई शक्ति या क्षेत्राधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद है जिसे सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत हल नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, वर्तमान मामले में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना पूरी तरह से अनुचित था। संपदा अधिकारी ने बिना कोई दिमाग लगाए परिसर में ताले और सील लगाने के निर्देश जारी कर दिए। हमारी राय में, वर्तमान जैसे मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का तात्पर्य उत्तरदाताओं द्वारा आवश्यक रूप से विषय परिसर के संबंध में अपने कथित अधिकारों को लागू करने के लिए मुकदमा दायर करना है।”

2. ऐसा मानते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संपदा अधिकारी, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन (एमएन) लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम 1971 (इसके बाद '1971 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 और 7 के तहत जारी किए

गए 23 जून, 2000 के आदेश और 17 नवंबर, 2000 के नोटिस को भी रद्द कर दिया।

3. मामले का तथ्यात्मक साँचा इस प्रकार है:-

3.1 प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलकर्ता द्वारा 1971 के अधिनियम की धारा 5 ए (चल संरचनाओं/स्थिर वस्तुओं को हटाने के लिए) के तहत और धारा 4(2)(बी) सपठित धारा 7(1) और (3) (नुकसान और बेदखली के लिए) के तहत विषय परिसर के संबंध में यानी श्री सीताराम मिल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे संक्षेप में 'एसएसएमएल' कहा जाएगा) एन.एम. जोशी मार्ग, मुंबई. के परिसर में स्थित 2921 वर्ग गज की भूमि और उस पर संख्या 96 और 97 वाली संरचनाओं को लेकर उसके (प्रतिवादी संख्या 1) खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2000 की रिट याचिका संख्या 1552 के रूप में एक याचिका दायर की।

3.2. उक्त रिट याचिका में, प्रतिवादी सं. 1 ने प्रस्तुत किया कि विषय परिसर पूर्ववर्ती मालिक, एसएसएमएल का था। 25 मार्च, 1975 को प्रतिवादी संख्या 1 और एसएसएमएल के बीच विषय परिसर को बेचने का एक समझौता किया गया था और 25 लाख रुपये का पूरा भुगतान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एसएसएमएल को किया गया था। 1 अप्रैल, 1975

को विषय संपत्ति का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया गया था और तब से यह प्रतिवादी संख्या 1 के पास ही है।

3.3 एसएसएमएल के कपड़ा उपक्रम का प्रबंधन 18 अक्टूबर, 1983 को कपड़ा उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 (इसके बाद '1983 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और अपीलकर्ता निगम को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। बाद में, 1 अप्रैल, 1995 से कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 (इसके बाद '1995 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत कपड़ा उपक्रमों के संबंध में अधिकार, शीर्षक और हित केंद्र सरकार में स्थानांतरित और निहित हो गए।

3.4 23 जून 2000 को, अपीलकर्ता निगम के संपदा अधिकारी ने 1971 अधिनियम की धारा 5 ए की उपधारा (3) के तहत एक आदेश पारित किया जिसमें विषय परिसर को 'सार्वजनिक परिसर' माना गया और प्रतिवादी संख्या 1 को चल संरचनाओं और स्थिर वस्तुओं को हटाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद, 17 नवंबर, 2000 को उक्त प्राधिकारी ने 1971 अधिनियम की धारा 4(1) और 7(3) के तहत प्रतिवादी नंबर 1 को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रतिवादी नंबर 1 से कारण बताने को कहा कि उसे विषय परिसर से क्यों नहीं बेदखल किया जाना चाहिए और क्यों उसे हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए।

अपीलकर्ता निगम ने प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ उपरोक्त कार्रवाई इस आधार पर शुरू की कि परिसर वास्तविक उपयोग के लिए आवश्यक था। इसके अलावा, अपीलकर्ता निगम ने उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह किया कि चूंकि पूर्ववर्ती मालिक एसएसएमएल और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच संप्रेषण विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, यह केवल बेचने का एक समझौता था और इसलिए, 1995 अधिनियम के तहत विषय परिसर केंद्र सरकार में निहित हो गया।

3.5 उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी, 2003 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को अनुमति प्रदान की।

4. वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा है:-

“क्या तथ्यों और परिस्थितियों में, 1971 अधिनियम के तहत प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ संपदा अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही जारी रहनी चाहिए या अपीलकर्ता को सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था?”

5. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

5.1 प्रतिवादी नंबर 1 का दावा अपंजीकृत बिक्री समझौते पर आधारित है जो कभी भी पंजीकृत बिक्री विलेख में परिणत नहीं हुआ।

इसके अलावा, प्रतिवादी सं. 1 न तो भूमि का मालिक है और न ही वह अपंजीकृत समझौते के अनुसार अधिकृत अधिभोग का दावा कर सकता है।

5.2 विचाराधीन भूमि राज्य में निहित हो गई और इसे 1983 अधिनियम और 1995 अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर अपीलकर्ता के पक्ष में हस्तांतरित माना गया। इस तरह के निहितार्थ के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 1, 1971 अधिनियम की धारा 2 (जी) के अर्थ के तहत अधिकृत रहने वाला होने का दावा नहीं कर सकता है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार:-

6.1 विषय परिसर 1983 अधिनियम के तहत नियत दिन यानी 18 अक्टूबर, 1983 को एसएसएमएल के कपड़ा उपक्रम का हिस्सा नहीं था और इसी कारण से 1983 अधिनियम के तहत विषय परिसर का प्रबंधन कभी भी केंद्र सरकार में निहित नहीं हुआ और इसी कारण से 1995 के अधिनियम के तहत विषय परिसर पर अधिकार, स्वामित्व और हित कभी भी केंद्र सरकार और अपीलकर्ता में निहित नहीं हुए। इस प्रकार दोनों अधिनियमों की विषय परिसर में कोई प्रयोज्यता नहीं है।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि 1995 अधिनियम के तहत निहितार्थ के लिए दो स्वतंत्र पूर्व शर्तें हैं।

(i) जो हासिल किया गया है वह पहली अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट मालिक का अधिकार, शीर्षक और हित है

ii) ऐसा अधिकार और हित पहली अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट कपड़ा उपक्रम से संबंधित होना चाहिए।

6.2 दूसरी आवश्यकता के संबंध में तथ्यात्मक मुद्दे के अलावा, पहली आवश्यकता में तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियत दिन पर किसी विशेष मालिक के पास "अधिकार, स्वामित्व और हित" था या नहीं, इसमें कानून के संचालन के अलावा तथ्यात्मक जांच भी शामिल है। अभिव्यक्ति "अधिकार, शीर्षक और मालिक का हित" 3 अलग-अलग पहलुओं का आवरण करने वाली एक समग्र अभिव्यक्ति है। चूंकि यह एक स्वामित्व संबंधी कानून है, इसलिए इसे सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए और किसी भी निहितार्थ से पहले सभी तीन तत्वों को एक साथ मौजूद होना चाहिए। इस मामले में, अपीलकर्ता का कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है।

6.3 किसी भी मामले में, किसी भी घटना में, प्रतिवादी नंबर 1 के कब्जे में लेने और संपत्ति का पूरी तरह से, खुले तौर पर, लगातार और एसएसएमएल (और इसके उत्तराधिकारी के हित में) के प्रति प्रतिकूल तरीके से आनंद लेने के 12 साल से अधिक समय बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने

कानून में अधिकार प्राप्त किए और एसएसएमएल में बचे शीर्षक का कोई भी बाकी/अवशेष कानून में अप्रभावी या अप्रवर्तनीय बना दिया गया था।

6.4. अभिलेख पर उपलब्ध प्रचुर सामग्री निम्नलिखित सुझाव देती है:

- (i) प्रतिवादी संख्या 1 और एसएसएमएल ने 25 मार्च, 1975 को बेचने का एक समझौता किया था।
- (ii) प्रतिवादी संख्या 1 को बेचने के समझौते के अनुसार 1 अप्रैल, 1975 को विषय परिसर पर काबिज कर दिया गया था।
- (iii) प्रतिवादी संख्या 1 ने एसएसएमएल को 25 लाख रुपये (21,85,000/- रुपये, 1,15,000/- रुपये, 20,000/- रुपये और 1,80,000/- रुपये) का पूरा भुगतान किया था।
- (iv) बिक्री 2 मार्च, 1975 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव के अनुसार हुई।
- (v) विषय परिसर की बिक्री 31 मार्च, 1975 को समाप्त वर्ष के लिए एसएसएमएल की बैलेंस शीट और अचल संपत्तियों की अनुसूची में परिलक्षित हुई थी।
- (vi) एसएसएमएल ने प्रतिवादी संख्या 1 के तहत विषय परिसर के 5802 वर्ग फुट के क्षेत्र में किरायेदारी स्वीकार कर ली और प्रतिवादी संख्या 1 को किराया दे रहा था।

(vii) एसएसएमएल ने विषय संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान किया जो कि एसएसएमएल द्वारा आयकर आयुक्त को लिखे गए दिनांक 28.01.1980 के पत्र से स्पष्ट है।

(viii) तब से विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों ने माना है कि यह प्रतिवादी नंबर 1 है जिसका उक्त परिसर है। यह, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित से स्पष्ट है

(ए) शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1977 को पारित आदेश द्वारा एसएसएमएल को विषय परिसर को बिक्री के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 को हस्तांतरित करने की अनुमति देना।

(बी) 5 मई, 1976 और 1 सितंबर, 1976 के समझौते, जिसके तहत प्रतिवादी नंबर 1 ने पहली और दूसरी मंजिल पर संपत्ति का एक हिस्सा भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से सीमा शुल्क कलेक्टर को किराए पर दे दिया था। 1983 अधिनियम और 1995 अधिनियम के बाद भी, भारत के राष्ट्रपति ने सीमा शुल्क कलेक्टर के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 के साथ समझौते जारी रखे। किसी भी स्तर पर सीमा शुल्क कलेक्टर ने केंद्र सरकार या अपीलकर्ता से संपर्क नहीं किया;

(सी) बीएमसी ने प्रतिवादी नंबर 1 के नाम पर अलग संपत्ति कर मूल्यांकन किया।

(डी) प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बॉम्बे नगर निगम को संपत्ति कर का मूल्यांकन और भुगतान किया गया।

(ई) बीएमसी ने अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई, 1981 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर अलग जल कनेक्शन प्रदान किया।

(एफ) विषयगत परिसर की बिक्री के संबंध में आयकर अधिकारियों द्वारा धारा 230ए(1) के तहत 5 फरवरी 1982 को जारी की गई एनओसी।

(जी) वसूली अधिकारी, भविष्य निधि और श्रम देय का आदेश दिनांक 5 फरवरी, 1983 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि प्लॉट नंबर 9 (भाग) पर कुर्की को हटा दिया गया था और खाली कर दिया गया था क्योंकि प्लॉट नंबर 9 (भाग) पर बनी इमारत को एसएसएमएल द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 को बेचने पर सहमति हुई थी।

(एच) हालांकि 1983 अधिनियम लागू हो गया था, सीमा शुल्क विभाग ने 1993 में विषय परिसर की पहली मंजिल पर अपने

कब्जे में 15805 वर्ग फुट में से 12571 वर्ग फुट जमीन प्रतिवादी नंबर 1 को सौंप दी।

(आई) हालांकि 1995 अधिनियम लागू हो गया था, सीमा शुल्क विभाग ने पहली मंजिल पर अपने कब्जे में शेष 3234 वर्ग फुट और दूसरी मंजिल पर अपने कब्जे में पूरी 8667 वर्ग फुट जमीन 26 फरवरी, 1997 को प्रतिवादी नंबर 1 को सौंप दी।

जे) सीमा शुल्क विभाग द्वारा कब्जे में लिए गए 8667 वर्ग फुट और 15305 वर्ग फुट के परिसर के किराए के मूल्यांकन के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 को मूल्यांकन अधिकारी, आयकर विभाग का दिनांक 23 फरवरी, 1985 का पत्र।

(के) सीमा शुल्क विभाग के कब्जे वाले परिसर के किराए के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में भवन विभाग, न्यू कस्टम हाउस, बॉम्बे से प्रतिवादी नंबर 1 को विभिन्न पत्र।

6.5. पक्षों के बीच पत्राचार से यह भी पता चलता है कि वर्ष 1975 में प्रतिवादी नंबर 1 को बेचे जाने के बाद विषय परिसर को कभी भी कपड़ा उपक्रम का हिस्सा नहीं माना गया था।

6.6. यह प्रस्तुत किया गया था कि यहां विषय परिसर 1 अप्रैल, 1994 से ठीक पहले कपड़ा कंपनी (एसएसएमएल) की संपत्ति या अधिकार या पट्टे या शक्तियों या प्राधिकरणों या विशेषाधिकारों

या संपत्ति का हिस्सा नहीं था। चूंकि विषय परिसर और इन परिसरों के संबंध में सभी अधिकारों को 1975 में एसएसएमएल के कपड़ा उपक्रम से बाहर रखा गया था, एसएसएमएल के पास उक्त परिसर के संबंध में कोई "स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण" नहीं था और इसलिए विषय परिसर को 1995 अधिनियम की धारा 4(1) के पहला भाग से बाहर रखा गया है।

6.7. आगे यह भी कहा गया कि स्वामित्व को लेकर एक गंभीर विवाद है जिसे 1971 के अधिनियम के तहत हल नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता को अपने पक्ष में एकतरफा निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि संपत्ति उसकी है, और ऐसे निर्णय के आधार पर सारांश उपाय का सहारा लें। वर्तमान जैसे मामले में कानून की उचित प्रक्रिया में अपीलकर्ता द्वारा विषय परिसर के संबंध में अपने कथित अधिकारों को लागू करने के लिए मुकदमा दायर करना अनिवार्य है।

6.8. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी **आंध्र प्रदेश सरकार बनाम थुम्मला कृष्ण राव और अन्य (1982) 2 एससीसी 134** में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें न्यायालय ने माना कि वास्तविक स्वामित्व विवाद को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं को सरसरी तौर पर बेदखल नहीं किया जा सकता है; और **यू. पी. राज्य बनाम जिया**

खान, (1998).8 एससीसी 483 जिसमें इस न्यायालय ने माना कि स्वामित्व का प्रश्न यू. पी. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के तहत तय नहीं किया जा सकता है और इस विषय पर निर्णय या तो राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना था।

7. पार्टियों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, 1983 अधिनियम और 1995 अधिनियम के प्रावधानों का एक संक्षिप्त संदर्भ देना आवश्यक होगा।

1983 अधिनियम की धारा 2(डी) "कपड़ा उपक्रम" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"(2)(डी) "कपड़ा उपक्रम" या "कपड़ा उपक्रम" का अर्थ पहली अनुसूची के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट एक उपक्रम है;"

1995 अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि नियत तिथि पर, प्रत्येक कपड़ा उपक्रम के संबंध में मालिक का अधिकार, शीर्षक और हित पूरी तरह से केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएगा और उसमें निहित हो जाएगा। इसकी उपधारा (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक कपड़ा उपक्रम जो उपधारा (1) के आधार पर केंद्र सरकार में निहित है, उसके निहित होने के तुरंत बाद, नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन को हस्तांतरित और निहित हो जाएगा।

1995 अधिनियम की धारा 3 में लिखा है:

"3(1) नियत दिन पर, प्रत्येक कपड़ा उपक्रम के संबंध में मालिक का अधिकार, शीर्षक और हित पूरी तरह से केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाएगा और उसमें निहित हो जाएगा।

(2) प्रत्येक कपड़ा उपक्रम जो उपधारा (1) के आधार पर केंद्र सरकार में निहित है, उसके निहित होने के तुरंत बाद, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित और निहित हो जाएगा।

इस मामले के प्रयोजनों के लिए उपधारा (3) में मुख्य अभिव्यक्ति है:

"प्रत्येक कपड़ा उपक्रम के संबंध में मालिक का अधिकार, स्वामित्व और हित"

8. वर्तमान मामले में वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या विषय परिसर को राज्य के साथ निहित एसएसएमएल की संपत्ति कहा जा सकता है।

9. नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीताराम मिल्स लिमिटेड और अन्य 1986 (अनुपूरक) एससीसी 117, में इस न्यायालय ने प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में पार्टियों द्वारा अपनाए गए रुख पर ध्यान दिया। उक्त मामला उसी मिल एसएसएमएल से संबंधित है। एसएसएमएल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कपड़ा उपक्रम (प्रबंधन का अधिग्रहण)

अधिनियम, 1983 की धारा 3 (1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अर्थ के तहत मिल से जुड़ी अधिशेष भूमि 'कपड़ा उपक्रम के संबंध में संपत्ति' नहीं थी और केंद्र सरकार को कंपनी को उक्त भूमि का कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता निगम ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त मामले में इस न्यायालय ने कहा:

"40.....वस्त्र उपक्रमों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए कानून बनाने में विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से कंपनी की अधिशेष भूमि को अपने कब्जे में लेने का था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को विधायिका की मंशा के अनुरूप अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की उपधारा (1) और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में व्याख्या करनी चाहिए थी। विधायिका का इरादा कपड़ा उपक्रम के संबंध में कंपनी की सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना था। कार्य बल की रिपोर्ट से जुड़े नोट में कंपनी की संपत्ति का मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं की कंपनी की कुल भूमि शामिल है और इसमें स्थावर संपदा विभाग को शामिल नहीं किया गया है। यहां तक कि राष्ट्रीयकरण पर भुगतान किए जाने वाले कुल मुआवजे का निर्धारण करने के लिए, कार्य बल कंपनी की कुल अधिशेष भूमि को ध्यान में

रखती है और तथाकथित स्थावर संपदा विभाग से संबंधित किसी भी भूमि को बाहर नहीं करती है। आईडीबीआई का व्यवहार्यता अध्ययन भी याचिकाकर्ताओं की कंपनी के पास मौजूद अधिशेष भूमि पर काफी हद तक निर्भर था।

41. परिसर में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि उक्त स्थावर संपदा विभाग कपड़ा उपक्रम से अलग और विशिष्ट था। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत ली गई कपड़ा मिलों की अधिशेष भूमि कपड़ा मिलों की आर्थिक वृद्धि का सृजन करने और बनाए रखने में सक्षम एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विवादित अधिनियम का विधायी इरादा और उद्देश्य रूग्ण कपड़ा उपक्रमों को बनाए रखने की दृष्टि से ऐसी अधिशेष भूमि के समाजीकरण को सुरक्षित करना था ताकि उन्हें सामाजिक भलाई के लिए सरकार द्वारा उचित रूप से उपयोग किया जा सके यानी मरणासन्न कपड़ा उपक्रमों को पुनर्जीवित करने में। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) जैसे प्रावधान की एक संकीर्ण और रूढ़िवादी रचना जोड़कर एक विरोधाभासी स्थिति से बचा जाना चाहिए था जो उप-धारा (1) के तहत एक कपड़ा उपक्रम के प्रबंधन को सार्वजनिक हित में संभालने पर होने वाले परिणामों के लिए

प्रावधान करता है ऐसे उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित के विरुद्ध था। इसी तरह के कानून से निपटने में, इस न्यायालय ने हमेशा एक व्यापक और उदार दृष्टिकोण अपनाया है..."

10. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह सुझाव देने के लिए कि 25 मार्च, 1975 के समझौते का निष्पादन उक्त मामले में विवादित नहीं था, **सीताराम मिल्स लिमिटेड** के पूर्वोक्त निर्णय पर भरोसा जताया।

11. आक्षेपित निर्णय देते समय, उच्च न्यायालय की खंड पीठ भी इस धारणा पर आगे बढ़ी कि विचाराधीन संपत्ति कपड़ा उपक्रम द्वारा बेची गई है और निम्नानुसार अवलोकन किया:

"9.....यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसी मिल के संबंध में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले से उत्पन्न एक अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दर्ज किया है कि विचाराधीन संपत्ति को 1983 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कपड़ा उपक्रम द्वारा बेच दिया गया है। तथ्यात्मक स्थिति के बारे में शायद ही कोई विवाद हो। 25 मार्च 1975 के समझौते का क्रियान्वयन विवादित नहीं है। इसमें भी कोई गंभीर विवाद नहीं है कि संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा

लेन-देन समसामयिक रिकॉर्ड जैसे बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव आदि द्वारा विधिवत प्रमाणित होता है। 1975 से 1998 की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में व्यवहार किया गया है। इसे समय-समय पर विभिन्न सरकारी निकायों को दिया जाता रहा है। विषयगत परिसर के संबंध में किराया याचिकाकर्ता द्वारा एकत्र किया गया है और कर का भुगतान हमेशा याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53-ए उस व्यक्ति को वैधानिक बचाव प्रदान करती है जिसके पास अपने कब्जे को बनाए रखने के लिए उसके पक्ष में कोई पंजीकृत स्वामित्व विलेख नहीं है यदि वह अपने पक्ष में एक लिखित और हस्ताक्षरित अनुबंध और उस अनुबंध के निष्पादन में अपनी ओर से आंशिक रूप से कुछ कार्रवाई साबित कर सकता है।"

12. सीताराम मिल्स लिमिटेड के फैसले के पैराग्राफ 35 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त मामले में महाराष्ट्र गिरनी कामगार यूनियन के विद्वान वकील ने यह प्रदर्शित करने के लिए अदालत के समक्ष एक विस्तृत सारणीबद्ध लेख दायर किया था कि स्थावर संपदा विभाग कपड़ा उपक्रम का अभिन्न अंग था. उक्त लेख में यह उल्लेख किया गया था कि 'शेष भूखंडों में से, भूखंड संख्या 4 पर 9765 वर्ग गज की दूरी पर कपड़ा मिल के कुछ पुराने गोदाम थे और उन्हें याचिकाकर्ताओं (यानी

एसएसएमएल) द्वारा 1974-75 में कपड़ा व्यवसाय के लिए ट्रस्ट से लिए गए ऋण की भरपाई के लिए टांटियास के एक धर्मार्थ ट्रस्ट को बेच दिया गया था'

हालांकि इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त चार्ट पर ध्यान दिया गया था, लेकिन इस न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि विचाराधीन संपत्ति 1983 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कपड़ा उपक्रम द्वारा बेची गई थी। दूसरी ओर यह दर्शाता है कि विचाराधीन भूमि कपड़ा मिलों की थी।

13. प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा भरोसा किए गए बेचने के समझौते में खंड 1 (डी), 2, 3, 6 आदि शामिल हैं जो तीन साल के भीतर पंजीकृत बिक्री-विलेख या संप्रेषण विलेख के निष्पादन को अनिवार्य करते हैं। हालांकि वैसा कभी नहीं किया गया। 25 मार्च, 1975 को बेचने के अपंजीकृत समझौते के 25 साल बाद एसएसएमएल के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा विशिष्ट निष्पादन के लिए एक वाद दर्ज किया गया था, जिससे यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास स्वामित्व का कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं था। उक्त वाद अभी भी लंबित है।

14. अधिनियम 1995 की धारा 4 निहितीकरण के सामान्य प्रभाव से संबंधित है। जिसके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

"4(1). धारा 3 में निर्दिष्ट कपड़ा उपक्रमों में सभी संपत्तियां, अधिकार, पट्टेदारी, शक्तियां, प्राधिकरण और विशेषाधिकार और भूमि, भवन, कार्यशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी सहित सभी चल और अचल संपत्ति शामिल मानी जाएगी और उपकरण, नकदी शेष, हाथ में नकदी, आरक्षित निधि, कपड़ा उपक्रमों से संबंधित निवेश और बही ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, जो नियत दिन से ठीक पहले स्वामित्व, कब्जे में थे, उक्त उपक्रमों के संबंध में कपड़ा कंपनी की शक्ति या नियंत्रण, चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर, और खाते की सभी किताबें, रजिस्टर और उससे संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी अन्य दस्तावेज और धारा 5 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट देनदारियों और दायित्वों को भी शामिल माना जाएगा।"

"4(2). उपरोक्त सभी संपत्ति जो धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार में निहित है, इस तरह के निहितार्थ के बल पर, किसी भी ट्रस्ट, दायित्व, बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार से मुक्त और मुक्त हो जाएगी। इसे प्रभावित करने वाली अन्य सभी बाधाएं, और किसी भी तरह से ऐसी संपत्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकारी के किसी भी लगाव, निषेधाज्ञा या डिक्री या आदेश को वापस ले लिया गया माना जाएगा।"

"4(5). संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति का बंधक या ऐसे किसी भी संबंध में कोई शुल्क, ग्रहणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति संपत्ति, अपने अधिकारों और हितों के अनुसार, पहली अनुसूची में ऐसी संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट रकम में से बंधक धन या अन्य देय राशि के पूर्ण या आंशिक भुगतान का दावा करने का हकदार होगा, लेकिन ऐसा कोई बंधक, शुल्क, ग्रहणाधिकार या अन्य ब्याज किसी भी संपत्ति के खिलाफ लागू नहीं किया जाएगा जो केंद्र सरकार में निहित है।"

"4(6) यदि, नियत दिन पर, कपड़ा कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में निहित किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है, कपड़ा उपक्रमों के हस्तांतरण या इस अधिनियम में निहित किसी भी चीज के कारण इसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा, लेकिन मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती है, मुकदमा चलाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, जो उक्त उपक्रम के संबंध में कपड़ा कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में नियत दिन से ठीक पहले मौजूद थे, केंद्र सरकार के पास निहित थे और धारा (3) की उप-धारा (2) के आधार पर नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन को हस्तांतरित और निहित किया गए। नियत दिन तक किसी भी अवधि के लिए किसी कपड़ा उपक्रम यानी एसएसएमएल के मालिक का दायित्व ऐसे मालिक (एसएसएमएल) का दायित्व है और 1995 अधिनियम की धारा 5(1) के मद्देनजर इसे उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है, न कि केंद्र सरकार या नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन के खिलाफ, जो इस प्रकार है:

“5(1) नियत दिन से पहले किसी भी अवधि के संबंध में कपड़ा उपक्रम के मालिक का उपधारा (2) में निर्दिष्ट दायित्व के अलावा प्रत्येक दायित्व, ऐसे मालिक का दायित्व होगा और यह उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि केंद्र सरकार या नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन के विरुद्ध।”

15. इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 मालिक (एसएसएमएल) के खिलाफ मुकदमा लंबित होने के आधार पर केंद्र सरकार या नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन के खिलाफ कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

16. मेसर्स डॉयपैक सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (1988) 2 एससीसी 299, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन-अपीलकर्ता से जुड़े एक मामले से निपटते समय, न्यायालय ने "से उत्पन्न, इसके बारे में और इसके संबंध में" अभिव्यक्तियों के अर्थ पर ध्यान दिया और देखा:

"49. "से उत्पन्न होना" शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि इसमें कानपुर उपक्रम से उत्पन्न आय से शेयरों और भूमि की खरीद शामिल है। हमारी राय है कि "इसके बारे में" और "इसके संबंध में" शब्दों का एक ही व्यापक अर्थ है और इन्हें अन्य कारणों के अलावा परस्पर उपयोग किया गया है, जिसमें एक ही खंड या वाक्य में एक ही वाक्यांश की पुनरावृत्ति से बचना शामिल हो सकता है। अच्छे प्रारूपण में अपनाई जाने वाली एक विधि। शब्द "बारे में" शब्द "संबंध में" का पर्याय है, देखें कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड 17, पृष्ठ 693।

50. अभिव्यक्ति "के संबंध में" (इसी प्रकार "के बारे में"), एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है जो किसी अन्य विषय वस्तु की परिकल्पना करती है। ये व्यापकता के शब्द हैं जिनका संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्ष महत्व और अप्रत्यक्ष महत्व दोनों हो सकता है, देखें राज्य वक्फ बोर्ड बनाम अब्दुल अजीज़²⁹ को नीता चरण बागची बनाम सुरेश चंद्र पॉल³⁰, श्याम लाल बनाम एम.

श्यामलाल 31 और 76 कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम 621 का अनुसरण और अनुमोदन करते हुए। यह मानते हुए कि शेयरों और भूमि में निवेश उपक्रमों का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग-अलग विषय हैं, तब भी उपरोक्त अभिव्यक्तियों के कारण इन्हें निहित के दायरे में लाया जाएगा। इस संबंध में पृष्ठ 620 और 621 पर 76 कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम का संदर्भ दिया जा सकता है जहां यह कहा गया है कि "संबंध में" शब्द को संघ में या संपर्क कनेक्शन में लाने के अर्थ के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "के संबंध में" को "के विषय में" और "के बारे में " के बराबर या पर्यायवाची माना गया है। "के बारे में" अभिव्यक्ति विस्तार की अभिव्यक्ति है, संकुचन की नहीं।"

17. 1995 अधिनियम की पहली अनुसूची उस राशि का प्रावधान करती है जो केंद्र सरकार को प्रत्येक कपड़ा उपक्रम के मालिक को ऐसे उपक्रम को हस्तांतरित करने और उसमें निहित करने के लिए देनी होती है। यह प्रावधान जांच का प्रारंभिक बिंदु नहीं हो सकता है कि कौन सी राशि किस संपत्ति से संबंधित है या निर्माण के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में (मैसर्स डॉयपैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (1988) 2 एससीसी 299 का पैराग्राफ 54 देखें)।

मेसर्स डॉयपैक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के उक्त मामले में न्यायालय ने आगे कहा:

"57. अभिव्यक्ति "और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार और हित, जो नियत दिन से ठीक पहले, उक्त उपक्रमों के संबंध में कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे", अधिनियम की धारा 4 के उप-धारा (1) में प्रदर्शित होते हैं इंगित करते हैं कि जो शेयर कपड़ा उपक्रमों के फंड से खरीदे गए हैं और जो उक्त कपड़ा उपक्रमों के लाभ के लिए रखे गए हैं, वे अधिनियम की धारा 4 के दायरे में आएंगे और इस प्रकार धारा 3 के तहत केंद्र सरकार में भी निहित होंगे। इन शेयरों की उत्पत्ति और कपड़ा उपक्रमों के साथ उनके संबंध की पूरी तरह से पुष्टि की गई है। कपड़ा व्यवसाय स्वदेशी कॉटन मिल्स का एकमात्र व्यवसाय है। सभी छह उपक्रमों के बीच अंतःसंबंध और पारस्परिक संबंध है। स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड में हमेशा से ही कानपुर उपक्रम के फंड से निवेश किया जाता रहा है। स्वदेशी माइनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में निवेश हमेशा कानपुर उपक्रम के फंड से किया गया था। एससीएम के कपड़ा व्यवसाय के लाभ के लिए रखी गई और उपयोग की गई संपत्ति/निवेश, उसके कपड़ा उपक्रमों में जारी रखा गया था" । □

इसलिए, यह स्पष्ट है कि विचाराधीन संपत्ति केंद्र सरकार में निहित थी और परिणामस्वरूप, 1995 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत हस्तांतरित और नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन में निहित थी। यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने बेचने के समझौते पर काम किया है और पूरे प्रतिफल का भुगतान किया है, तो यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1, 1971 के अधिनियम की धारा 2 (जी) के अर्थ के तहत अधिकृत अधिभोगी है।

18. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच प्रावधानों का सही ढंग से विश्लेषण करने में विफल रही और गलत तरीके से यह मान लिया कि विचाराधीन संपत्ति 1983 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कपड़ा उपक्रम को बेच दी गई है। अदालत ने यह मानने के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 ए पर गलत भरोसा किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास उक्त प्रावधान के तहत वैध बचाव उपलब्ध है और इसलिए यह मानने में गलती हुई कि 1971 अधिनियम के धारा 2(जी) के अर्थ के तहत प्रतिवादी संख्या 1 एक अधिकृत कब्जाधारी है।

19. उपरोक्त कारणों से, हम रिट याचिका संख्या 1552/2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 6 फरवरी, 2003 के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 और 7 के तहत

जारी किए गए दिनांक 17 नवंबर, 2000 के नोटिस को बरकरार रखते हैं। अब, यह सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के लिए खुला है कि वह 1971 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़े और उचित आदेश पारित करे। अपील की अनुमति है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अपील की अनुमति दी गई।

देविका गुजराल

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।